

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-76/2024 दिनांक 16.03.2024)
दिनांक-16.03.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

मरीजों को सरकारी अस्पताल से गलत व अवैधानिक रूप से रोकने व प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाकर अन्यत्र नर्सिंग होम/प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराने वाले तथा लोगों से धन उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पीड़ितों से ठगी करने वाले 06 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.03.2024 को स्वशासी राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय कुशीनगर/जिला संयुक्त चिकित्सालय कुशीनगर परिसर के पास से थानाध्यक्ष रविन्द्रनगर धूस श्री संजय कुमार मय टीम व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 0039/2024 धारा 147,353,332,352,420 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट व 3 इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट से सम्बन्धित 06 अभियुक्तगणों 1.उपेन्द्र गौड़ पुत्र रामजीत गौड़ नि0 भिसवा सरकारी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर 2.दिलीप सिंह पुत्र स्व0 जुगुलकिशोर सिंह नि0 सहजवलिया थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर 3.अखिलेश कुमार राय पुत्र श्री चन्द्रभान राय सा0 भिसवा सरकारी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर 4.राजकुमार गौड़ पुत्र लक्ष्मण प्रसाद गौड़ नि0 माधोपुर गौजही थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 5.जनार्दन शर्मा पुत्र रामाश्रय शर्मा नि0 भैसही थाना कसया जनपद कुशीनगर 6.अमन कुमार निषाद पुत्र रामआश्रये निषाद नि0 जंगल चौरिया थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका-

उपरोक्त अभियुक्तों का एक गिरोह है जिनके द्वारा धन अर्जन करने के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला संयुक्त चिकित्सालय कुशीनगर में दलाली करते हैं, भोले भाले मरीजों के हाथ से पर्ची लेकर प्राइवेट दुकानों पर दवाएँ लेने हेतु मरीजों के तीमारदारों से जबरदस्ती करते हैं तथा एंबुलेंस चालकों से मिलकर भर्ती मरीजों को बेवकुफ बनाकर अन्य प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं तथा मेडिकल

कालेज/संयुक्त जिला चिकित्सालय में तैनात होमगार्डों तथा मेडिकल स्टाफ द्वारा मना किए जाने पर उनसे लड़ झगड़ कर मार पीट पर आमदा हो जाते है। इनके कृत्य से दवा इलाज हेतु आने वाले मरीजों, चिकित्सकों, व चिकित्सकीय स्टाफ में भय व्याप्त है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 0039/2024 धारा 147,353,332,352,420
भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट व 3 इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट

अभियुक्त अखिलेश कुमार राय पुत्र चन्द्रभान राय का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 291/2022 धारा धारा 147,353,332,352,420
भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट व 3 इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट
थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.उपेन्द्र गौड़ पुत्र रामजीत गौड़ नि0 भिसवा सरकारी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
2. दिलीप सिंह पुत्र स्व0 जुगुलकिशोर सिंह नि0 सहजवलिया थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
3. अखिलेश कुमार राय पुत्र श्री चन्द्रभान राय सा0 भिसवा सरकारी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
4. राजकुमार गोड़ पुत्र लक्ष्मण प्रसाद गोड़ नि0 माधोपुर गौजही थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 5.जनार्दन शर्मा पुत्र रामाश्रय शर्मा नि0 भैसही थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 6.अमन कुमार निषाद पुत्र रामआश्ररे निषाद नि0 जंगल चौरिया थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष संजय कुमार थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 2-व0उ0नि0 जीतबहादुर यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 आलोक कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 4-उ0नि0 अनुराग यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 5-हे0का0 राधेश्याम यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 6-हे0का0 रणजीत यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 7-हे0का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 8-हे0का0 राहुल सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 9-का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

- 10-का0 अमरनाथ सरोज थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
11-का0 शुभेन्द्र उपाध्याय थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
12-का0 जितेन्द्र यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर का कुख्यात गैंगेस्टर गोलु गिरी उर्फ हण्टर एक अदद लग्जरी वाहन, 2.405 किग्रा0 अवैध चरस (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपये) व अपने एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया कुशीनगर श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध मांदक/द्रव्य पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.03.2024 को थाना को हाटा पुलिस टीम द्वारा एनएच 28 पिपरा उर्फ तितला कट के पास से एक अदद लाल कलर की टाटा कार से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार पर मौके/कब्जे से अवैध चरस अलग अलग क्रमशः 1205 व 1200 ग्राम कुल 2 किलो 405 ग्राम व दो अदद कूट रचित हस्ताक्षरित आरसी (एक स्वहस्ताक्षरित मोहर लगी तथा दूसरी स्वहस्ताक्षरित बिना मोहर के) व छः अदद सरकारी कूट रचित मोहरे व अपराध मे प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन रियलमी कम्पनी का व अपराध मे प्रयुक्त एक अदद चारपहिया वाहन बरंग महरुम माडल टाटा इण्डिको माजा फर्जी नम्बर प्लेट लगी नम्बर यू0पी0 78बीवाई 0586 की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 196/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 465/467/468/471 भादवि0 थाना हाटा जनपद कुशीनगर आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

कुख्यात गैंगेस्टर गोलु उर्फ हण्टर जिसके ऊपर पूर्व में हत्या का प्रयास, हिंसा के साथ लूट व गैंगेस्टर जैसे अपराध पंजीकृत है, बर्तमान में जेल से छुटने के बाद अपने साथी शिव कुमार यादव के साथ मिलकर अपने अपराध के तरिके में बदलाव लाते हुए मांदक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त हो गया तथा अपने साथी के साथ मिलकर 04 पहिया लग्जरी वाहन के साथ चरस की तस्करी करते पकड़ा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 196/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 465/467/468/471 भादवि0 थाना हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. गोलू गिरि उर्फ हंटर उर्फ हरिकेश्वर पुत्र ओमप्रकाश गिरी साकिन भैसहा सदर टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. शिवकुमार यादव पुत्र रामलायक यादव साकिन बरवा महुआडीह थाना महुआडीह जनपद देवरिया

गोलू गिरी उर्फ हण्टर का आपराधिक इतिहास:-

- 1-म0अ0स0 590/2022 धारा 394/411/120बी भादवि थाना हाटा जनपद कुशीनगर
- 2-मु0अ0स0-49/22 धारा 392/427/411 भादवि थाना हाटा जनपद कुशीनगर
- 3-मु0अ0स0-610/22 धारा 307/420/467/468/471 भादवि थाना हाटा जनपद कुशीनगर
- 4-मु0अ0स0-33/22 धारा 392/452/323/506/411 भादवि थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया
- 5-मु0अ0सं0 371/2023 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 6-मु0अ0सं0 196/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 465/467/468/471 भादवि0 थाना हाटा जनपद कुशीनगर

शिवकुमार यादव का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 196/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 465/467/468/471 भादवि0 थाना हाटा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:-

- 1- अवैध चरस लगभग कुल 2 किलो 405 ग्राम (कुल कीमत लगभग 05 लाख रुपये)
 - 2-नाजायज चरस को लाने व ले जाने हेतु अपराध में प्रयुक्त लग्जरी वाहन एक अदद टाटा इण्डिगो माजा कार संख्या UP 78 BY 0586 (कुल कीमत लगभ 15 लाख रुपये)
 - 3-02 अदद कूटरचित हस्ताक्षरित आरसी
 - 4-06 अदद सरकारी कूटरचित मोहरे
 - 5- अपराध में प्रयुक्त प्रतिरूपित 02 अदद फर्जी नगम्बर प्लेटे
 - 6-अपराध में प्रयुक्त 01 अदद मोबाईल फोन रीयलमी (कीमत लगभग 25,000/- रु0)
- (बरामदगी की कुल कीमत लगभग 20 लाख 25 हजार रुपये)



बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री राजप्रकाश सिंह थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 2-प्र०नि० श्री मनोज कुमार पन्त साईबर थाना जनपद कुशीनगर
- 3-व०उ०नि० मंगेश मिश्रा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 4-उ०नि० संदीप सिंह चौकी प्रभारी सुकरौली थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 5-का० दुर्गेश मौर्य थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 6-का० मुकेश चौहान थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 7-का० रामनिवास थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 8-का० अमित वर्मा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 9-का० मनीष सिंह यादव थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

एक अदद बोलेरो वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही कुल 23 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 12 लाख 60 हजार रुपये) बरामद, दो गांजा तस्कर गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अवैध मांदक/द्रव्य पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.03.2024 को थाना कोतवाली पड़रौना व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मिश्रौली नहर पुलिया के पास से एक अदद बोलेरो वाहन संख्या UP81AA6870 से तस्करी कर ले जायी जा रही कुल 23 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 12 लाख 60 हजार रुपये) बरामद कर मौके से दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 149/2024 धारा 8/20 NDPS ACT में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 149/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. जालंधर पुत्र शिव रतन ग्रा० दुबौली थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
2. राजेंद्र पुत्र झरुल ग्रा० दुबौली थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर



बरामदगी का विवरण- (कुल कीमत लगभग 12 लाख 60 रुपये)

1. दो झोले मे क्रमशः 12.850 किलो ग्राम व 10.300 किलो ग्राम कुल 23 किलो 150 ग्राम नाजायज गांजा (कीमत लगभग 04 लाख 60 हजार रूपये)
2. एक अदद बोलेरो वाहन संख्या UP81AA6870 (अनुमानित कीमत 08 लाख रूपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० श्री आलोक कुमार प्रभारी स्वाट टीम कुशीनगर
3. उ०नि० श्री विवेक कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी मिश्रौली थाना को० पडरौना
4. हे०का० अजीत राय थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
5. हे०का० रणजीत यादव स्वाट टीम कुशीनगर
6. हे०का० चन्द्रशेखर स्वाट टीम कुशीनगर
7. हे०का० राहुल सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
8. का० शिवानन्द सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
9. का० अंकुर सिंह थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
10. का० मनोज यादव थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
11. का० आशुतोष सिंह थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
12. का० राजीव यादव थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा 06 किग्रा० गोमांस व एक अदद मोटर साईकिल वाहन के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.03.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा पिपरा कनक मठिया मोड़ के पास से 06 किलो ग्राम गोमांस जो बेचने के लिए देवरिया ले जाते समय बरामद कर एक नफर अभियुक्त- अनवारूल हक पुत्र स्व० मो० शरीफ शाह निवासी सेमरा थाना गोपालगंज सदर जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 65/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग:-



Edit with WPS Office

मु0अ0स0 65/2024 धारा- 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम
थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनवारूल हक पुत्र स्व0 मो0 शरीफ शाह निवासी सेमरा थाना गोपालगंज
सदर जनपद गोपालगंज बिहार ।

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो संख्या BR 28 S 7753
2-कुल 06 किग्रा0 गोमांस

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-SO श्री राकेश रोशन सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
3-का0 रामप्रवेश यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

***थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार-***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में
वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के
क्रम में आज दिनांक 16.03.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0नं0
434/06 धारा 279,304 भादवि से सम्बन्धित वारन्टी दुखी कोईरी पुत्र
लखन सा0 धोकरहा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर
आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 434/06 धारा 279,304 भादवि

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

दुखी कोईरी पुत्र लखन सा0 धोकरहा थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1-SHO श्री दिग्विजय नरायण राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 शेषनाथ यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3-का0 पवन कुशवाहा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर



थाना अहिरौलीबाजार पुलिस द्वारा रंगदारी/हत्या के प्रयास के मुकदमें में 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.3.2024 को थानाध्यक्ष अहिरौलीबाजार मय पुलिस टीम द्वारा रामपुर झुरिया माफी टोला के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2024 धारा 504/506/386/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1- मंजीत सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र सर्वदेव सिंह साकिन खानीपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर, 2- राज सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह साकिन बरवा बाबू थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

1- अभियुक्त मंजीत सिंह उर्फ भोलू सिंह का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 48/2024 धारा 504/506/386/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट

2-मु0अ0सं0 790/2020 धारा 307/323/325/452/504/506 भादवि थाना गीडा जनपद गोरखपुर

2- अभियुक्त राज सिंह का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 48/2024 धारा 504/506/386/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- मंजीत सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र सर्वदेव सिंह साकिन खानीपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर सम्बन्धित

2- राज सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह साकिन बरवा बाबू थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1-थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

3-कां0 विपिन द्विवेदी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

4-कां0 मनोज सिंह यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

5-कां0 जितेन्द्र सिंह थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 41 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 05 वाहन

2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-64, व्यक्ति-199

3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(14)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-55)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

